**MUNICIPAL COMMITTEE, KALANAUR** नगरपालिका कलानौर

E-mail ID- secy-kalanaur@ulbharyana.gov.in Off Tel. No. 01258-299022, 299422

# सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नगरपालिका कलानौर क्षेत्र की आबादी देह तथा लाल डोरा के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों के अधिभागियों को सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने है।

नगरपालिका कलानौर क्षेत्र में आने वाली सभी सम्पत्ति आई.डी. जो कि लाल डोरा आबादी देह में स्थित है, की सूचि सम्पूर्ण विवरण सहित नगरपालिका कलानौर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है, आप इस सूचि का अवलोकन करके यदि सम्पत्ति आई.डी. में दर्ज विवरण जैसे स्वामी के नाम सम्पत्ति के क्षेत्रफल सम्पत्ति में दर्ज मोबाईल नम्बर सम्पत्ति की श्रेणी आदि विवरण को लेकर 30 दिन के अन्दर–अन्दर नगरपालिका कलानौर कार्यालय में अपने दावे/आपत्तियां लिखित में दर्ज करा सकती है।

सम्पत्ति के स्वामित्व को सिद्ध करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला द्वारा जारी क्रमांक DULB.DMC-HQ/2024/142 दिनांक 12.03.2024 में दिए गए निर्देशानुसार आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें :–

1. पिछले 10 वर्षो का बिजली बिल।
2. पिछले 10 वर्षो का पानी का बिल।
3. कोई भी सरकार द्वारा जारी किया गया, दस्तावेज जैसे इ.पी.आई.सी., ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि, जिसमें पता शामिल हो।

अधिकार के पिछले 10 वर्षों का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

1. पिछले 10 वर्षो के अधिकार का पता लगाने के लिए सम्पति–कर रसीदे।
2. पिछले 10 वर्षो के अधिकार का पता लगाने के लिए निर्मित संरचना का प्रमाण।

दावाकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की वांछनीय सूचि निम्नलिखित है :–

1. बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख।
2. हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख/मुक्ति विलेख/जमाबन्दी/फर्द।
3. राजस्व अधिकारी के साथ पंजीकृत अदालत का आदेश।
4. रजिस्ट्री/बिक्री विलेख।

नोटः– मूल मालिक की मृत्यु के मामले में उपयुक्त उल्लेखित दस्तावेजों के साथ–साथ सक्षम राजस्व प्राधिकरण/सिविल अदालत से जारी कानूनी/सिविल अदालत से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जरूरी है।

सचिव,
नगरपालिका कलानौर।